16/11//3 No. EDN-C-B(6)-1/2012
Government of Himachal Pradesh
Department of Elementary Education
...
From:

Pr. Secretary (Education) to the Government of Himachal Pradesh

To

The Director Elementary Education-cum-

Mission Director(SSA), Himachal Pradesh, Shimla-1. Dated Shimla-171002, the

November, 2013

Subject:-

Regarding formulation of Policy for Block Resource Centre

Coordinators(BRCCs) under Sarva Shiksha Abhiyan.

Sir.

In continuation of this deptt. letter of even No., dated 29th. October, 2013, on the subject cited above and to say that in order to measure the performance with the aid of Evaluation tool, the duties and responsibilities of BRCC need to be defined comprehensively and same have not been included in Annexure-A which has already been sent in the above mentioned letter. To fulfill this essential requirement, the approved Job Chart of the BRCCs & selection process is as under:-

Job Chart

- Analysis of each term test to assess the achievement level of children against the defined learning standards for class 1-8.
- ii. Identification of high and low performing schools on the basis of learning achievement of children and display of the same on the notice board of the BRCCs office.

Academic support to all schools teachers.

Every school must be RTE complaint in the Blocks and Clusters in terms of

following nine parameters i.e.:-

Usable Girls toilets

b) Usable Boys Toilets

-2-

- c) Safe drinking water
- d) Ramps & hand rails
- e) Pupil Teacher Ratio (PTR)
- f) Students Class Room Ratio (SCR)
- g) Boundary wall
- h) Play Ground
- i) Library

(Note:-Proper record of schools should be maintained in this regard)

- V. Identification of six major changes (3 qualitative and 3 quantitative) including achievement level trends of students in schools over a period of time.
- vi. Collection, coverage of all schools (Pvt. & Govt.), timely submission, analysis of DISE data of their respective blocks & determining the gaps and strategies for their removal.
- vii. Identification of good clusters or schools (To be justified through documentation).
- viii. Regular updating of Village Education Registers (VERs) which is mandatory according to RTE Act provision.
- ix. Assessment and feedback of the trainings organized time to time.
- x. Conducting micro studies and action research.
- xi. Teach students in neighbourhood school being developed as Model School at the Block level whenever there is no SSA/RMSA work to be performed (Proper record of classes/subjects taught shall be maintained by the School head and BRCC in this regard).
- xii. Any other work assigned by the authorities from time to time.

Selection Process

It is clarified that the every vacancy of the BRCCs shall be advertised and duly publicized by the DIET concerned so that interested

candidates can apply for the vacant post. All the eligible candidates shall be called for interview. Where the tenure of BRCCs is about to complete, the selection process shall be started at least three months in advance so that the vacancy is filled up well in time. All the appointments against the posts of BRCCs shall be done strictly as per this policy. The existing incumbents who have completed tenure as per this policy shall be repatriated back to their parent cadre immediately on the selection of new incumbent. However they have an option to apply after cooling-off period of 3 years subject to fulfillment of the eligibility criteria under this policy.

You are, therefore, requested to take further immediate necessary action accordingly under intimation to this Department.

Yours faithfully.

Joint Secretary (Ele.Edu.) to the Government of Himachal Pradesh

Dated: [6-11-2013

Endst, No. As above. Copy forwarded to the State Project Director, HP for information and similar necessary action.

> Joint Secretary (Ele.Edu.) to the Government of Himachal Pradesh

6/11/13

Most Immediate

No. EDN-Ç-B(6)-1/2012

Government of Himachal Pradesh Department of Elementary Education

From:

Pr. Secretary (Education) to the Government of Himachal Pradesh

To

The Director Elementary Education-cum-Mission Director(SSA), Himachal Pradesh, Shimla-1,

Dated Shimla-171002, the

October, 2013

Subject-

Regarding formulation of Policy for Block Resource Centre

Coordinators(BRCCs) under Sarva Shiksha Abhiyan.

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to say that the matter regarding framing of Policy for Block Resource Centre Coerdinators(BRCCs) covering various aspects like eligibility conditions, selection criteria, appointment, tenure, controlling authority etc. under Sarva Shiksha Abhiyan was under consideration of the Govt for some time past. Now, it has been decided by the Govt to frame Policy Guidelines for engagement of Block Resource Centre Coordinators(BRCCs)as per Annexure-'A' along with Performance Evaluation Tool Annexure-'B' in the Education Department.

You are, therefore, requested to take further immediate necessary action accordingly under intimation to this Department.

Encls. Annexure-'A' &'B'.

Yours faithfully,

Endst. No. As above.

Joint Secretary (Ele.Edu.) to the Government of Himachal Pradesh Dated:

Copy forwarded to the Additional Secretary(GAD) to the GOHP w.r.t. Cabinet decision taken on 26th. October, 2013 under Item No. 35 for Information.

20 Pholoso

Joint Secretary (Ele.Edu.) to the Government of Himachal Pradesh

The Policy Guidelines for appointment of Block Resource Centre Coordinators(BRCCs):

i). Minimum qualification

Qualification	Primary	Upper Primary	Percentage
Educational	10+2	B.A./B.Sc.	Minimum 50%
Professional	J.B.T.	B.Ed.	Minimum 50%

ii). Teaching Experience

Minimum 10 Years experience as regular teacher in the department of Education,
Himachal Pradesh

iii) Eligibility Conditions

- a) Only JBT in case of BRCC primary and only TGT in case of Upper Primary
- b) There should be no departmental enquiry or proceedings pending or contemplated against the applicant or the person should not been punished or held guilty for misconduct or for dereliction of duty by the department at any stage of his career.
- c) If (s)he is promoted as CHT or Lecture/Head Master during his tenure as BRCC (s)he shall be repatriated back to his/her parent cadre.
- iv) Age : Not more than 50 Years at the time of appointment

v) Tenure

- A BRCC shall be appointed initially for a period of one year.
- b) Tenure of BRCC's is extendable up to two years on the basis of performance evaluation which should at least be adjudged as "good".

- If the performance of the BRCC is not found good, or his/her working is not found in the interest of the project, (s)he can be repatriated back to his/her parent deptt. at any stage.
- d) On exceptional performance as BRCC, it can be further extended upto another two year by the recommendation of State Project Director.
- e) The BRCC's shall be repatriated after 2/4 years as the case may be. After repatriation, the BRCCs can re-apply after cooling off period of 3 years.
- A BRCC's whose performance was not found satisfactory or who was found to have been working against the interest of the project or against whom departmental proceedings have been initiated by the department shall not be eligible to apply after the prescribed cooling off period of 3 years.

vi) Selection Committee at District level

a). Deputy Commissioner: Chairman

b) Deputy Director Elementary : Member

c) Deputy Director Higher: Member

d) District Project Officer-Cum- Principal: Member Secretary

The selection will be made by the selection committee after the interview on the basis of marks obtained in the interview as per the well defined selection criterion.

VII. Selection Criteria

1. The selection will be made by the selection committee after interview on the basis of marks obtained in the interview on the following criterion:-

a) Primary

Criteria	Educationa	al qualification			Higher Qualificati	Personality Test/Interview	Total
	Academic	Professional (JBT)	Teaching	As RP*	on		
Maximus Marks	30	20	10	15	10	15	100

Resource Person

Distribution of marks Academics

i. Qualification Marks

Matric = 10

10+2 = 20

Note:-

The marks for the qualification, both the academic and the professional, shall be awarded proportionality to the percentage obtained in that class/category by the applicant.

ii.	Higher Education		Maxi	mum marks	
	B.Ed./Graduation	=	3		
	M.Ed./PG	=	6		
	M.Phil	=	8		
	Ph.D	=	10		
iii.	Teaching Experience :		1268		
	Upto 10 Years		=	5	
	Upto 11Years		-	6	
	Upto 12 Years		= 1	7	4
	Upto 13 Years		=	8	
	Upto 14 Years		=	9	
	Upto 15 Years		=	10	
	AND THE RESIDENCE OF THE PARTY				

iv. Experience as Resource Person:

National level, Publication/Book/Manual writing related to SSA/Education = 15
RP National level only = 12
RP State level Publication/Book Manual writing related to SS/Education = 10
RP State level only = 8
District level RP Publication/Book/Manual writing related to SSA/Education = 6
District level RP only = 4
Block level RP Publication/Book/Manual writing related to SSA/Education = 3
RP block level = 2

b) Upper Primary

Criteria	Educationa	al qualification	Teaching Experience	e	Higher Qualificati	Personality Test/Interview	Total
	Academic	Professional (B.Ed.)	Teaching	As RP*	on	1	
Maximum Marks	30	20	10	15	10	15	100

· Resource Person

Distribution of marks Academics

i. Qualification Marks 10+2 = 10 Graduation = 20

Note:-

The marks for the qualification, both academic and professional, shall be awarded proportionality to the percentage obtained in that class/category by the applicant.

Ĥ.	Higher Education	Maxi	mum marks
	M.Ed.	=	3
	M.A./M.Sc	=	6
	M. Phil	=	8
	Ph.D	=	10

-5-

iii. Teaching experience :

Upto 10 Years = 5

Upto 11 Years = 6

Upto 12 Years = 7

Upto 13 Years = 8

Upto 14 Years = 9

Upto 15 Years = 10

iv. Experience as Resource Person:

National level, Publication/Book/Manual writing related to SSA/Education = 15
RP National level only = 12
RP State level Publication/Book Manual writing related to SS/Education = 10
RP State level only = 8
District level RP Publication/Book/Manual writing related to SSA/Education = 6
District level RP only = 4
Block level RP Publication/Book/Manual writing related to SSA/Education = 3
RP block level = 2

VIII . Appointment of BRCC's

- The recommendations of the selection committee shall be forwarded by the concerned DPO (SSA) to the State Project Office (SSA) which in turn shall forward the same with

recommendations /remarks to the Directorate of Elementary Education for issuing the appropriate orders of the appointment. No teacher shall be appointed as BRCC on adhoc basis and no teacher shall be given charge of BRCC on temporary basis that has not been recommended by the selection committee. BRCC Primary and Upper Primary can be entrusted to look after the work of each other in case of vacancy at either level.

- No CHT or Lecturer /Head Master shall be appointed as BRCC and the present incumbent, if promoted to any of these posts, shall ceases to be BRCC.


- Designated controlling officers for maintaining the service record

 Guidelines for the sanction of leave, attendance, pay and TA/DA of the BRCCs shall be as under:
 - a) The Block Project Officers (SSA) i.e. Principal of the Block Senior Secondary School shall be the Controlling Officers of the BRCCs and they shall be competent to sanction casual/restricted leaves of both the BRCs and keep record thereof.
 - The earned leave of the BRCCs shall be sanctioned by the DPOcum-Principal DIET on the recommendations of the BPO (SSA).
 - c) Single attendance register of both the BRCCs shall be maintained at the BRCCS office where the BRCC is at a distance both from the BPO as well as BEEO offices. Where the office of the BRCCs and BEEO is in the same complex/building the register shall be kept in BEEO office for BRCC (Primary) and BPO office for BRCC (Upper Primary) who shall check and sign it regularly.
 - d) The service books of the BRCCs shall be kept at the office of DPC(SSA) cum Deputy Director Elementary Education Officer who shall draw salary and medical claims of the BRCCs centrally against the posts created under SSA/vacant posts/posts against which the lien of the BRCCs is kept, as the case may be.

- e) The tour programme of BRCCs shall be approved by the DPO concerned and TA/DA claims shall also be settled by DPO office only.
- f) Since the BRCCs shall not be entitled to summer/winter and other vacations in schools, he shall be entitled for earned and medical leave as admissible to non-vocational institutional staff.
 - g) The Annual Confidential Reports of the BRCCs shall be initiated by the BPO and reviewed by the DPO and finally accepted by the Deputy Director and Director Elementary Education, as the case may be.

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश खण्ड स्त्रोत समन्वयक की ग्रेडिंग हेतु मॉनिटरिंग टूल सर्व शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश

खण्ड	स्त्रोत समन्वयक का नाम प्राथमिक	5/माच्यमिक_		
ল্ৰন্থ:	जिलाः			
शुल ७	ोंकः 100 <u> </u>	ग्रप्तांकः		
1. याल,	त्तभी रकूलों में अश्वा के अधिकार के अन्तर्गत स्वीकृत इकाई वालिका शौचालय, चार दीवारी, खेल का मैदान, पुस्तकालय, रसोई श			
	(₹6) (90 - 100) %		4	
	(평) (8U -10U) %		3	
	(7) (70-80)%		2	
	(च) 70 स कम		1	
1. 2. 3.	कारणा सं RTE Compliant नहीं हैं। School wise ब्यौरा दे त		N 000000 100 100 100 100 100 100 100 100	
2.	पुरतकालय			
	(क) क्या खंड रतर पर पुरतकें उपलब्ध है ?		1	
	(ख)हन पुरतकों का सही उपयोग हो रहा है।		2	
	(न) पुरत्तकं उपलब्ध होने के वायजूद उपयोग नहीं हो रही है।		0	
3.	स्कूल स्तर पर पुरतकालय			
	(क) सभी पाटशालाओं में पुस्तकें उपलब्ध है तथा बच्चे उनका उपवोग कर रहे	31	2	
	।छा) पाठशालाओं मे पुरतके उपलब्ध हैं तथा बच्चे उनका उपयोग नहीं कर रहे	हैं।	1	
	(न) सभी पाटशालाओं में पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं।		0	
ুসম্বা	पत करने हेनू नमूने के तीर पर कुछ पाटशालाओं का पुस्तकालय issue regis	ster देखा ज	राए।)	
				HPsin



4. खण्ड विकास योजना

(क) खण्ड स्तर के सभी संकुलों का विश्लेषण, खण्ड विकास योजना तैयार की गई उसका कार्यान्वयन हो रहा है।

(ख) सभी स्कूलों का विश्लेषण, खण्ड विकास योजना तैयार की गई परन्तु उसका नियमित
कार्यान्वयन नहीं हो रहा है।

(ग) संकुलों का कोई विश्लेषण नहीं है तथा कोई खण्ड विकास योजना भी नहीं है।

0

5. शिक्षण अधिनम सामग्री

(क) शिक्षण सामग्री का एक अलग कीना बनाया गया है तथा उसका खण्ड स्तर के प्रशिक्षण में प्रयोग हो रहा है। 2
(ख) शिक्षण सामग्री उपलब्ध है परन्तु उसका उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। 1
(ग) शिक्षण सामग्री विकासित ही नहीं की गई है । 0

गत वर्षों में खण्ड स्तर पर शिक्षण अधिगम सामग्री के खर्च का ब्यौराः

- (क) छप्रसम्बद्ध है।
 2

 (ख) उपसम्बद्ध नहीं है।
 0
- 7. विछले कई वर्षों से खण्ड स्तर पर अध्यापकों के विभिन्न प्रशिक्षण करवाए गये हैं। क्या प्रशिक्षणों का गूल्यांकन किया गया ? यदि हाँ, तो उस प्रशिक्षण का बच्चों के उपलब्धि स्तर में कितना सुधार आया—

।क) 10 प्रतिश्रत से अधिक	2
(ख) 5-10 प्रतिशत तक	j
(য) 5 এনিখন ম কন	

•	8.	A) खण्ड स्तर पर ग्रेडिंग के आधार पर कक्षा 1 से 5 (Primary) तक A & A+ Grade	थ प्राप्त कर
	वाले ब	क्ट्यों की प्रति ।तसा	
		(重) (90-100)%:	4
		(জ) (70-90)%	3
		m) (50-70%	2
		(a) (35-50)%	1
	: 63	(3.) (1-34)%	0
		B) खण्ड स्तर पर ग्रेडिंग के आधार पर कक्षा 6 से 8 (Upper Primary) तक A & A+ (Grade प्राप
	वारने इ	वाले बच्चों की प्रनि ।तता	
		(R) (90-100)%:	4
		·(₹) (70-90)%a	3
		(4) (50-70%)	2
		।त् _{र (35-50)%}	z. 1
		(3.)(1-34)%	0
	9	खण्ड स्त्रीत अनन्वयक द्वारा स्कूलों का अनुश्रवण (निर्धारित संख्या 5 से 10 स्कूल प्रतिमाह)	
		१%) खुलो का अनुश्रवण किया, वहां जाकर सभी समस्याओं का सामाधन किया गया तथा	
		रकृतों में एक आदर्श पाट भी दिया गया (खण्ड स्तर पर सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध होना चाहिए :)	2
		्यः) स्कूरो का अनुभवण किया परन्तु स्कूलों में आवर्श राट नहीं दिया	1
		्य) स्कृती का अनुश्रवण नहीं किया तथा आदर्श पाठ भी नहीं दिया गया।	0
		्रवंति अस्त संति संति द्वारा चार मार में एक तिहाई स्कूलों का अनुभवण व दर्श भर में अपने छण्ड के सभी	स्कूलों का

अनुभ्यण अभिवार्य है।)

ग्ख्य मानक

13/(1-34)%

10. A) कक्षा 5 (for Pry.) में प्रत्येक term test के बाद खण्ड स्तर पर Grade A & A* प्राप्त करने व

(室) (90-100)%。	4
(a) (70-90)%	3
:ग) (50 -7 0%)	2
(1) (35-50)%	1


3) कक्षा 8 (for U/Pry.) में प्रत्येक term test के बाद खण्ड स्तर पर Grade-A& A* प्राप्त करने व दच्यों की प्रतिशतता

(項) v30-100)%	4
'vi) (70-90)%	3
17/ (50-70%	2
(9) (35-50)%	I
.3 (1-34)%	0

11. विछले वर्ष खण्ड स्तर पर बच्चों का सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय तथा अन्य राष्ट्रीय संस्थानों/अन्य खे कूद ह सांस्कृतिक मिनिविधिया व अन्य में चयन (बच्चों की संख्या)

	्या न दा न हे अधिक	2
	ट ् 4 हे संब	1
	(ग) कोई नहीं	0
SINC ACC STORY	The state of the s	

ितं ५ व्हों की तूर्ण उपलब्ध होती छाहिए)



12.	खण्ड स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित विभिन्न रिकार्ड़ का रख रखाव तथा समय पर	सूचन
भेजना ।		
	(क) रिकार्ड के रख-रखाय का रतर अच्छा है तथा नियमित रूप से सूचनाएं भेजी जाती हैं।	2
	(জ) रिकार्ड के रख-रखाब का रतर अध्छा है परन्तु समय पर सूचनाएं नहीं भेजी जाती है ।	1
	(ग) दो में से कोई नहीं।	0
(नत्यारित	करने के लिए छण्ड रतर का रिकार्ड अयश्य देखा जाए।)	
13.	क्या खण्ड स्तर पर खण्ड स्त्रोत समूह (BRG) का गठन किया गया है?	
	(क) यदि हां, तो सदस्यों की सेवाए प्रशिक्षण तथा खण्ड के शैक्षिक विकास से सम्बन्धित	
	गतिर्विधियों में प्रयोग की जा रही हैं।	2
	(छ) यदि हॉ, परन्तु खण्ड स्त्रोत समूह (BRG) का तांक्रिय योगदान सुचिश्चित नहीं किया जा रहा है।	1
	(ग) भ्राप्ड स्त्रोत समूह (BRG) का गटन हो नहीं किया गया है।	0
(BRG)	के सदस्यों की सूची व उनकी भौक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा उनकी सेवाओं का रिकार्ड उपलब्ध हो।	
14.	A) खण्ड स्तर पर 6 से 11 वर्श के बच्चों का NER (प्राथमिक स्तर)	
	(ৰু) 90-100 মনিখন	2
	(অ) ৪০-९০ प्रतिशत	1
	(म) 80 प्रतिशत सं कन	0
(सरकारी	तथा निजी स्कृली के आंकडो पर आधारित)	
	b) खण्ड स्तर पर 11 से 14 वर्श के बच्चों का NER (माध्यमिक स्तर)	
	(क) 85-100 प्रतिश् ष त	2
	(ম্র) 70-85 प्रतिभत	1
	(ग) 70 प्रतिशत से कम	0
संस्कृत	तथा मिर्जा स्कूलों के आंकड़ों पर आधारित)	

छोड़कर) (क) पूर्ण राशि छर्च की गई (ख) 5000/- ख0 तक की श्रंप राशि (ग) 5000/- ख0 से अधिक शेष राशि (रिकार्ड माँचा जाए) 16. अपने खण्ड में सर्च शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्धियों की Documentation की है ? (क) हों (ख) नहीं	र्माण कार्यो
(ख) 5000/- एक तक की श्रेय राशि (ग) 5000/- एक से अधिक शेष राशि (रिकार्ड गाँचा जाए) 16. अपने खण्ड में सर्च शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्धियों की Documentation की है ? (क) हाँ	
(ग) 5000/- रू0 से अधिक शेष राशि (रिकार्ड गाँचा जाए) 16. अपने खण्ड में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्धियों की Documentation की है ? (क) हाँ	2
(रिकार्ड माँचा जाए) 16. अपने खण्ड में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्धियों की Documentation की है ? (क) हाँ	1
16. अपने खण्ड में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्धियों की Documentation की है ? (क) हाँ	0
(क) हाँ	
(জ) নর্রা	2
	0
17. खण्ड स्त्रोत रामन्वयक के पर पर रहते हुए क्या कोई Action Research/Micro Research	ı study की
হে) বা	2
(ख) नहीं	0
18. Research study के परिणामों के आधार पर कोई—	
(क) रणनीति बनाई और उसे लागू किया ।	2
(আ) रणनीति वनाई परन्तु उसे लागू नहीं किया।	1
(ग) कोई रणनीति नहीं बनाई ।	0
19. खुण्ड स्तर पर प्रभावशाली SMC	
(क)10 या 10 से आधिक	2
(छ) ५ हे १० के धीच	1
(भ) ५ से कप	0
(प्रभावशाली SIVIC से अभिप्राय : 1 स्कूल विकास योजना बनाने में भागीदारी 2 वच्चों के उपलब्धि स्तर की जॉ	व एवं सुधार
🕏 लिये प्रयास/सहयोग 3. मध्याहन भोजन की गुणवता की जाँच में सहयोग 4. स्कूल स्तर पर आयोजित	प्रतियोगिताओं
क्षांद्रारो आदि ॥	
20. वया रकूल से बाहर बच्चों (OOSC) का खण्ड स्तर पर सर्वे किया गया है ?	
(ফ) শাঁ	2
(ध्व) नहें।	O
Total and supplemental total and the supplemental supplem	6 1 % 8

कितने प्रतिशत OOSC तथा NRST centres के बच्चों को मुख्य धारा में सामा गया है-21. (क) सभी 2 (জ) 50 प्रतिएत (ग) 50 प्रतिशत से कम (यदि खंड स्तर कोई भी बच्चा दिधालय से बाहर (OOSC) नहीं हैं उसे पूरे अंक दिए जाए।) स्यूल से बाहर विशेष अगवश्यकता दाले बच्चे -22. (क) 5 र कन 2 (ड) 5 है 10 के बीच 1 (ग) 10 से अधिक ्खण्ड स्टार पर प्रत्येक बच्चे का Profile उपलब्ध हो। उन दच्चों के नाम सहित सूची उपलब्ध हो जिन्हें मुख्य धार में लाया ' क्या रिकोर्स जम क्रियाशील हैं? 23. (क) हो 2 (S) नहीं ्रिल उच्चों को रिलोर्स ७२ म अंदाएँ दी गई उनका Profile एवं माता-पिता का Feedback उपलब्ध हो) 24. वया खड स्तर पर -(क) नवाधार व लर्घश्रेशत कार्य (Innovation and best practices) किए गये. (অ) নথালাং (ग) सर्वश्रेश्ट कार्य 'ध्र, कोई नही ्यद्राया क लिए। शाद्ध व सुरक्षित पेयजाल के लिए गए तरीके अपनाना, मध्याह भोजन की गुणवता सुनिधि स करन २८०-पाठन की प्रकिया ने नये तकनीकों को लागू करना, बच्चों क विचारों के प्रदानि लि Learning Wail/ Display Board, लड़कियों और लड़कों के भौचालयों में अधूनिक स्विधाओं व




सम्बद्धाता इत्यादि)

(सर्वश्रष्ट कार्य बच्चों में अनुशासन, समय की पावन्दी, नैतिक मूल्यों को अपनाना, बच्चों के सर्वश्रेष्ठ व प्रवर्शन व अन्य बस्तावेज खण्ड स्तर पर तैयार किया हो उत्थादि)

- खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी (BEEO) खण्ड स्त्रोत समन्वयक (BRCC) खण्ड स्त्रोत समूह (BRG)
 के सदस्यो में आपसी तालमेल
 - (क) प्रत्येक स्तर के सभी अधिकारियों का मिलकर छण्ड में शिक्षा के विकास के लिए तिक्रय योगदान।
 - (छ) थण्ड स्तर पर शिक्षा का केवल एक स्तर हारा कार्यान्वयन।
 - (ग) उपरोक्त अधिकारियों के आपसी तालमेल की कमी।

(बैठकों का रिकार्ड उपलब्ध हो)

- 26. जिला स्तरीय अमीक्षा बैठकों तथा कार्यशालाओं में उपस्थित एव कार्य करने की योग्यता के आधा-जिला परियोजना कार्यालय द्वारा प्रत्येक खण्ड स्त्रोत समन्वयक के लिए निम्न मानकों पर अंक निर्धारण:--
 - (क) (i) धाण्ड खोत समन्वयक ने प्रत्येक समीक्षा बैठक में समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज की।
 - (ii) समीक्षा बैठक / कार्यशाला के दौरान दिए गये कार्य की प्रस्तुति बहुत अच्छी दी।
 - (ii) बैटक /कार्यशाला के सभी सत्रों मे उपरिथति शत-प्रतिशत रही । 6
 - (iv) सम्बन्धित खण्ड स्त्रोत समन्ययक पटन-पाठन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु सहायता देने मे सक्षम हैं।6
 - (ख) (1) खण्ड ख़ोन समन्वयक ने प्रत्येक समीक्षा बैठक में भाग लिया किन्तु समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं की।3
 - (ii) तमीक्षा वैटक/कार्यशाला के दौरान दिए गये कार्य की प्रस्तुति औसतन् रही।
 - (in) पर्भा सत्रों में कभी-कभी अनुपरिधाति दर्ज को गई।
 - (iv) सन्वर्निथत खण्ड स्त्रोत समन्ययक पटन-पाठन प्रक्रिया को प्रभाषी बनाने हेतु सहायता देने
 - (ग) (i) खण्ड त्य्रांत समन्यवक ने प्रत्येक समीक्षा वैठक में विना ठोस कारण माग नहीं लिया।
 - (ii) समीक्षा वैद्यक कार्यशाला के दौरान दिए गये कार्य की प्रस्तुति औसत से कप रही। 0
 - (iii) सर्गा सत्रो अधिकांश समय अनुपत्थिति दर्ज की। 0
 - (iv) गम्बन्धित खण्ड स्त्रांत समन्वयक पटन-पाटन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु सहायता देने



3



औसत से कप रहा।

0

27.	দ্রত্ত स्त	र के मॉडल स्कूल में बच्चों तथा अध्यापकों के लिए विशेष सुविधाएं	
	(₹) (i)	शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अनुरूप देखने में आकर्षक, प्रत्येक कक्षा के लिए	
		कक्षा-कन्न जो प्रकाशयुक्त, हवादार एवं लाफसुयरे हैं, Building as Learning aid (BaLA)	
		फीचजं, पुरतकालय, लड़कों तथा लड़कियों के लिए अलग से शीचालय व्यवस्थां।	4
	(ii)	समय-समय पर वाल राभा व ऐसी गतिविधियां करवाना।	4
	(iii)	पर्याप्त अधिगम शिक्षण सामग्री, बच्चों का अच्छा उपलब्धि स्तर, CCE को और बेहतर बनाने हेतु	
	G	एड स्त्रीत समन्वयफ द्वारा स्कूर्लों को शैक्षिक सहायता एवं CCE रजिस्टर की नियमित जाच।	4
	(iv)	SMC की भागीदारी हेतु संस्थागत प्रयास।	4
	(আ) (i)	शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अनुरुप देखने मे आकर्षक, प्रत्येक कक्षा के लिए कक्षा-कक्ष	
		जो प्रकाशयुपत, हवाबार एवं साफसुधरे हैं, Building as Learning aid (BaLA)फीचर्ज हैं किन्तु	
		गुगबत्तापूर्ण नहीं है। लड़कों तथा लड़कियों के लिए अलग से शौचालय व्यवस्था वेंहतर नहीं है।	2
	(11)	वाल सभा व ऐसी गतिविधियां कभी-कभी करवाना।	2
	(111)	अक्यांन्त अधिगम शिक्षण सामग्री, बच्चों का आँसत उपलब्धि स्तर, CCE को और वेहतर बनाने	
		हेतु खण्ड स्त्रीत समन्वयक द्वारा स्कूलों को अधर्याप्त शैक्षिक सष्ठायता एवं CCE र्राजस्टर की	
		नियमित जांच न होना।	2
	(iv)	SMC की भागीदारी हेतु संस्थागत कन प्रयास।	2
	(n) (i)	स्कूल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के अनुरुप नहीं है	0
	(ii)	चाल सभा व ऐसी गतिविधियां का न करवाना।	0
	(iii)	अधिगम शिक्षण सामग्री न होना, बच्चों का उपलिध्ध स्तर औसत से कम होना, CCE को	
		और बंहतर बनाने हेतु खण्ड स्त्रोंत समन्वयक द्वारा स्कूलों को शैक्षिकसहायक्षा न देना	
		एवं CCE रजिस्टर दी जांच न होता।	0
	(iv)	SMC की भागीदारी हेतु संस्थागत का प्रयास न करना ।	0

18

खण्ड ग्रेड	प्रथम पूर्वाकन	अन्तिम दूर्यांकर		
Į.	(अक्तूबर माह के दूसरे सप्ताह)	(अप्रैल माह के दूसरे भप्ताह)		
		i.		
पूर्वाकन की तिथि				
प्राप्त अंकों क. योग				
	<u> </u>			
। खण्ड स्थिति पर प्राप्त ग्रेड		1		
£		6		

खण्ड खोत सफ्ययक की (BRCC) की ग्रेडिंग जिला स्तर पर समिति करेगी जिसके सदस्य निम्न होंगे।

<u>≇ 80</u>	साम् व प्रदत्तम्	<u>पद</u>	<u>इ</u> स्टाक्षर
<u>*</u>	प्रधानाचार्य एवं जिल्ला परियोजना अधिकारी (55A)	अस्यक्ष	
ž.	प्रचानाधार्य एवं खड परियोजना अधिकारी खरड स्त्रोत सनन्वयक्त (पाध्यमिक) के लिए	सदस्य	
š.	ाड प्राथनिक शिक्षा अधिकारी खण्ड खोत सनन्वयक (प्राथमिक) के लिए	सदस्य	
:	सन्तरिह समन्द्रयक जिला परियोजना आयोलय	तदस्य	

खण्ड की ब्रेडिंग (Grading) के लिए जिला परियोजना अधिकारी को दिशा-निर्देश


- 1) प्रत्येक जिला परियोजना अधिकारी को हर खण्ड की छः माह में एक बार ग्रेडिंग सुनिश्चित करनी होगी ।
- 2) खण्ड ग्रेटिंग की सूचना को एक तर से दूसरे तक पहुंचानाः

्द्र सं0	स्तर	जिसे सूचना सैंपनी है	अर्दोध	मूल्यांकन तथा सूचना पहुंचाने का
1.	िल्ला गरेगेजना भागीतर । (DPO)	राज्य इस्योजना निदेशक (SPD)		अफ्तूबर माह के अन्तिम स्ताह । अप्रैट भार के अन्तिम स्ताह

3) प्रत्येक खण्ड की ग्रेडिंग (Grading) के निए निन्न भानवन्ड (Criteria) निश्चिन किया गया है।

ं अंक	खण्ड संख्या	ो डेड	उपलब्धि स्तर
90-100 प्रतिशत		A+	Excellent
९७-९६ प्रांतश्त		A	Very good
60-80 ହରିହାର		j B+	Good
२०-६० अनिशत	,	B	Average
40 प्रॉटिंग्स में का		C	Needs Improvement

- 4) ग्रेडिंग के पश्चात प्रत्येक जिला परियोजना अधिकारी/ जिला परियोजना समन्वयक को गम्मीर समस्या का सामना करने वाले खण्डों की और विशेष ध्यान देना होगा तथा खण्ड के अंतर्गत संकुलों एवं विधालयों की कमियों एवं उपलब्धियों पर जिला स्तर थी मासिक बैउक में चर्चा करके उनका समाधान खोजना होगा। फिर भी यदि कुछ खण्डों की समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर अधिकारियों से प्राथमिकता के आधार पर बातचीत की जाए।
- 5) १२चेक जिला परियोजना आधिकारी / जिला परियोजना समन्वयक की अपने खण्डों की ग्रेडिंग सूची सूचना पट्ट पर दर्शानी होनी जिसको सम्प्र-समय पर राष्ट्रीय / राज्य / जिला स्तरीय मॅनिटॉरेंग टीमों डारा जांचा जाएगा।
- यह वेडिंग कुल 100 जंको की होगी जिले उपरोक्त जिले द्वारा गठित वार सदस्यीय समिति करेगी।
- 7) अनुश्रवण के तुरन्त कार जिला परियोजना कार्यालय, खण्ड घोत समन्वयकों की (BRCCs) की चूबो प्रेडिंग टूलज के साधा राज्य वरियोजना कार्यालय को भेजें।
- 8) राज्य (तर पर प्रतिवर्ध हो) बार (नकाबर माह व मई माह) खण्ड स्रोत समन्वयको (BRCCs) व फाला व्यय सदस्योग समिति व्या सम्बन्धित राज्य समन्वयक के साथ समीक्षा बैठक होगी।



(20

 ९) खण्ड स्त्रोत समन्वयक की ग्रेडिंग की जांच से संबंधित निर्णयों के तिए उपायुक्त/राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान अपील प्राधिकारी होंगे।

